पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 12 अभियुक्त वं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22–01–2023

दिनांक 21/22–01–2023 को रात्रि थाना आशियाना 01, थाना बिजनौर 02, थाना बीकेटी 01, थाना कैण्ट 01, थाना चिनहट 03, थाना इन्दिरानगर 03, थाना मोहनलालगंज 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना बीकेटी 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 12 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना पीजीआई–दिनांक 22.01.2023 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री हाकिम सिंह भदौरिया पुत्र स्व0 श्री निरोत्तम सिंह भदौरिया निवासी–म0नं0 592/घ/121 राजीव नगर घोसियाना तेलीबाग लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी अपने स्वास्थ्य कारणों से अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे बेटे के पास हल्द्वानी उत्तराखण्ड गया हुआ था। दिनांक 19.01.2023 को प्रातःकाल में पड़ोस के लड़के से वादी को सूचना प्राप्त हुई कि वादी के घर के अन्दर का ताला टूटा हुआ है और वादी के घर में चोरी होने का अंदेशा है। इस सूचना पर वादी दिनांक 19.01.2023 को शाम को अपने लखनऊ स्थित उक्त मकान पर वापस आया तो देखा कि घर के दरवाजे व अलमारी के ताले टूटे मिले। अज्ञात चोरों द्वारा वादी के उक्त घर में घुसकर वादी के घर के दरवाजे का ताला व अलमारी का ताला तोड़कर उसमे रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात (कीमत करीब 80 से 85 हजार रूपये) को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 56/2023 धारा 380/457 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गोसाईगंज–दिनांक 22.01.2023 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री राम बालक निवासी–ग्राम बेगरिया मऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 20.01.2023 को समय करीब 08.30 बजे रात्रि को विनोद नाई पुत्र अज्ञात, दीपांशु नाई और ललित नाई पुत्रगण विनोद नाई व गुड्डी नाई पत्नी विनोद नाई निवासी ग्राम बेगरियामऊ थाना गोसाईगंज ने वादिनी के घर पर आकर वादिनी व वादिनी के पुत्रगण धीरज कुमार और विपिन कुमार को अपशब्दो का प्रयोग करते हुए जातिसूचक गालियां देते हुए लात घूसों व लाठी डण्डों आदि से बुरी तरह मारते हुए जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वादिनी व उसके दोनों पुत्रों को गम्भीर चोटें आयीं हैं। उक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गये। **इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 44/2023 धारा 323/504/506/307 भादवि व धारा 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**